



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272414  
CG-DL-E-11052026-272414

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2292]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 2292]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11 2026/VAISAKHA 21, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

का.आ. 2383 (अ).— केंद्रीय सरकार, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीवी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) तथा उसके अधीन बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, स्कीम, आदेश और दिशानिर्देश निरसित होंगे।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. -V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT****(Department of Rural Development)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2026

**S.O. 2383 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2026 as the date on and from which the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall stand repealed.

[F.No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.